तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/1995-डीबी

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 20 मार्च, 2023

रि.या.(सि.) 2934/2023

सत्येंद्र कुमार बिंद ...याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री अभय कुमार भार्गव और श्री सत्यार्थ एस, अधिवक्तागण

बनाम

भारत संघ व अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री नितिन्जया चौधरी, वरि. पैनल अधिवक्ता के साथ सुश्री झीपा, यूओआई के लिए सरकारी अधिवक्ता और श्री हेमेन्द्र सिंह बीएसएफ के डी सी (विधि)।

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्ण

तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/1995-डीबी

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

1. वर्तमान याचिका के द्वारा याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहत की माँग कर रहा हैः

"क.) प्रत्यर्थी महा.निदे. बीएसएफ को बी.एस.एफ. अधिनियम, 1968 की धारा 117(2) सहपठित बी.एस.एफ. नियम के नियम 167 के तहत दायर पुष्टिकरण उपरान्त वैधानिक याचिका (post-confirmation statutory petition) दिनांकित 29.10.2022 पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए निर्देश देते हुए एक परमादेश या अन्य कोई उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

2. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा सामान्य सुरक्षा बल न्यायालय के दिनांक 14.03.2022 से 22.04.2022 तक के निष्कर्षों एवं दंडादेश एवं

पुष्टिकरण के आदेश और प्रख्यापन क्रमशः दिनांक 27.07.2022 एवं दिनांकित 30.07.2022 के विरुद्ध पुष्टिकरण उपरान्त वैधानिक याचिका दिनांकित 29.10.2022 बी.एस.एफ. अधिनियम, 1968 की धारा 117(2) सहपठित बीएसएफ नियम के नियम 167 के तहत दायर की गई है|

3. यह नोट किया जा सकता है कि चार महीने से अधिक की अवधि बीतने के बावजूद प्रत्यर्थी सं. 2/महानिदेशक, बीएसएफ द्वारा उपर्युक्त पुष्टिकरण उपरान्त वैधानिक याचिका दिनांकित 29.10.2022 न्यायनिर्णीत नहीं की गई है|

4. प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी सं.2 के पास ऐसी कई याचिकाएं इस कारण से लंबित हैं क्योंकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक को सीमा सुरक्षा बल/प्रत्यर्थी सं. 2 के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है|

5. तदनुसार, हम प्रत्यर्थी सं. 2 को आज से चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता की उक्त पुष्टिकरण उपरान्त वैधानिक याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए वर्तमान याचिका का निपटान करते हैं|

6. इस प्रकार लिए गए निर्णय की सूचना याचिकाकर्ता को लिखित में तत्पश्चात एक सप्ताह के भीतर दी जाएगी|

7. तदनुसार, वर्तमान याचिका का निपटान किया जाता है|

(सुरेश कुमार कैत)
न्यायमूर्ति

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायमूर्ति

21 मार्च, 2023/वीए

तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/1995-डीबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*